



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

**(A Government of India Enterprises)**

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

[www.dfccil.gov.in](http://www.dfccil.gov.in)

No. 2019/HQ/Admin/RTI-183

New Delhi: 12.02.019

Shri Dheeraj Kumar Sharma  
S/o Sh. Subhash Chandra Sharma  
Village- Sithroli, Post- Hathras Junction  
Janpad-Hathras-204102  
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

**Reference: RTI Application dated 14.01.19 received through CGM/Tundla's office on 11.02.19.**

You have submitted your above RTI application at CGM/Tundla's office, The CGM/Tundla's office, here the deemed PIO, has forwarded the same along with reply to this office which is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,  
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

**(S.K.PANDA)**

**Dy. G.M/Admn.(PIO)**

**E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)**

**9717636811**

Chief General Manager, DFCCIL, 3/20, 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi, Near Tulsi Cinema, NH-02, Agra-282 002	For information and record only.
--	----------------------------------



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

No.TDL/EN/RTI/212(A)

दिनांक 05.02.19

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक (वि.)

डी.एफ.सी.सी.आई.एल./ टूंडला

विषय:-जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रमाणित सही एवं पूर्ण सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

1. जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिन्दु संख्या-1 में आपके द्वारा चाही गयी जानकारी में आपको अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा टावर फाउंडेशन करने के समय किसानों की जितनी प्रभावित भूमि हुई उसका वास्तविक मुआवजा सम्बंधित किसान को उस समय पर दे दिया गया था । तथा दूसरे किसानों को दी गयी धनराशी के बारे में जानकारी आपको देना जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नहीं आता है ।
2. जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिन्दु संख्या-2 में आपके द्वारा चाही गयी जानकारी में आपको अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा टावर फाउंडेशन, टावर इरेक्शन एवं तार बिछाने के समय प्रभावित किसानों को प्रभावित भूमि का वास्तविक मुआवजा सम्बंधित किसान को उस समय पर दे दिया गया था । तथा दूसरे किसानों को दी गयी धनराशी के बारे में, तथा उनसे सम्बंधित जानकारी आपको देना जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नहीं आता है ।
3. जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिन्दु संख्या-3 में आपके द्वारा चाही गयी जानकारी में आपको अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा टावर फाउंडेशन, टावर इरेक्शन एवं तार बिछाने के समय प्रभावित किसानों को प्रभावित भूमि का वास्तविक मुआवजा सम्बंधित किसान को उस समय पर दे दिया गया था । तथा दूसरे किसानों को दी गयी धनराशी के बारे में तथा उनसे सम्बंधित जानकारी आपको देना जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नहीं आता है ।

(डी.के.तिवारी)

सहायक परियोजना प्रबंधक (विद्युत)

Office Of Chief Project Manager:-KPS Tower, Mayur Complex, 3rd Floor, Near Tulsī Talkies, Agra

Website [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)